न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर. ए. एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या : 13/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू

– प्रार्थी

बनाम

सतवीर पुत्र भज्जुराम जाति जाट उम्र 49 साल निवासी पाण्डासी थाना मलसीसर जिला झुन्झुनूं

– अप्रार्थीगण

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1. लोक अभियोजक ..... सरकार की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 12.11.2020

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू ने दिनांक 06.10.2020 को इस्तगासा पेश किया कि गैर सायल सतवीर पुत्र भज्जुराम जाति जाट उम्र 49 साल निवासी पाण्डासी थाना मलसीसर जिला झुन्झुनूं का रहने वाला है जो एक अवैध शराब तस्करी का कार्य करता है। जिसने अपनी शराब तस्करी व आपराधिक गतिविधियों से गॉव पाण्डासी व कस्बा मलसीसर व आस पास के गॉवो के लोगो को भयभीत व आतंकित कर रखा है तथा अपने कारोबार में युवा पीढी को धकेल रहा है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर इसकी गतिविधियों की सूचना देने व रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिये तैयार होता है। गैरसायल के कृत्यों का गॉव पाण्डासी व कस्बा मलसीसर, व आस पास के क्षेत्र में भय व्याप्त है। उक्त गैर सायल के कृत्य अभी भी लगातार जारी है इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:47:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

विपरीत असर पड रहा है तथा ईलाका मे लोगो के अमन चैक को ठेस पहुंच रही है। इससे गॉव पाण्डासी व आस पास के गॉवो के ईलाको मे कई लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके खिलाफ अब तक 04 अभियोग आबकारी अधि. में दर्ज किये गये है सभी प्रकरणो में न्यायालय में सजा हो चुकी है। शख्स की गतिविधियां को ध्यान मे रखते हुये कई बार धारा 41/110 सीआपीसी में पाबन्द भी करवाया गया है। उक्त शक्स के जिले की सीमाओ मे रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा तथा अपने कृत्यों को लगातार अन्जाम देगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	एफ.आई.आर. नं0 मय धारा	थाना का नाम	नतीजा न्यायालय
1	12/03 धारा 19/54 आबकारी अधि0	मलसीसर	दिनांक 19.07.04 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, (प्रथम वर्ग), झुन्झुनू द्वारा धारा 05 परिवीक्षा अधिनियम के अधीन 500 रूपये जुर्माना
2	31/11 धारा 19/54 आबकारी अधि0	मलसीसर	दिनांक 23.07.12 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, (प्रथम वर्ग), झुन्झुनू द्वारा धारा 05 परिवीक्षा अधिनियम के अधीन 1000 रूपये जुर्माना
3	27/13 धारा 19/54 आबकारी अधि0	मलसीसर	दिनांक 02.07.13 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, (प्रथम वर्ग), झुन्झुनू द्वारा धारा 05 परिवीक्षा अधिनियम के अधीन 1200 रूपये जुर्माना
4	118/18 धारा 19/54 आबकारी अधि0	मलसीसर	दिनांक 16.02.19 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू द्वारा धारा 05 परिवीक्षा अधिनियम के अधीन 2500 रूपये जुर्माना

इस प्रकार सतवीर पुत्र भज्जुराम जाति जाट उम्र 49 साल निवासी पाण्डासी थाना मलसीसर जिला झुन्झुनूं का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) की पूर्ण परिभाषा में आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का मौखिक सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा स्वैच्छा से स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में गवाहन को तलब किये जाने का कोई औचित्य शेष नही रह जाता है। प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:47:24 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना मलसीसर जिला झुन्झुनू में एकाधिक अभियोग दर्ज होकर उनमें गैर सायल दोष सिद्व हुआ है। जिसके कारण गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अधीन अपराध करने के कारण गुण्डा की तारिफ में आता है। अतः इसे पुलिस थाना मलसीसर जिला झुन्झुनू की समस्त सीमाओं से निष्कासित किया जावें।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान एपीपी–1 की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों के मुताबिक गैर सायल सतवीर पुत्र भज्जुराम के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कुल 04 प्रकरण दर्ज होकर उनमें गैर सायल दोष सिद्व हुआ है। जिनकी प्रमाणित प्रतियां इस्तगासे के साथ संलग्न है। गैर सायल सतवीर पुत्र भज्जुराम द्वारा 4 बार ऐसा अपराध करने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यु होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित सूचना पर राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैर सायल अगर इस क्षेत्र में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृति तथा युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान–माल को नुकसाान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में इस्तगासा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 में अंकित विश्वास के कारणों के चलते गैर सायल सतवीर पुत्र भज्जुराम को मलसीसर थाना क्षेत्र से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैर सायल सतवीर पुत्र भज्जुराम जाति जाट उम्र 49 साल निवासी पाण्डासी थाना मलसीसर जिला झुन्झुनूं को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए पुलिस थाना मलसीसर की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना, सदर झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 15:47:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

उक्त 15 दिवस की अवधि में जहां भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, जिला झुन्झुनू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना मलसीसर, जिला झुंझुनूं को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना, मलसीसर, जिला झुंझुनूं उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 12.11.2020 के पश्चात 1 माह के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनूं(राज.)

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनूं(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:47:24 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:47:24 IST
Reason: SelfAttested